संख्या: 1 /2025 / 128 / सत्रह-म-2025 -17-1099/55/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिंनाक 23 जनवरी 2025

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 02 मदों के सम्बंध में मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 419/नि0शा0/म0पा0क0को0/ 2024-25 दिनांक 12 सितम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 02 मदों- वैवाहिक सहायता एवं शिक्षा हेतु सहायता (कोंचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि) के लिए मार्ग- निर्देश निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 02 मदों- वैवाहिक सहायता एवं शिक्षा हेतमु सहायता (कोंचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि) के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये पर जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(अ) वैवाहिक सहायता:

1.1 उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17- 1090/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में 30 प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक मछुआरा को वैवाहिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मत्स्य विकास (विकास एवं निमंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के संशोधित नियम 5 (13) में उल्लिखित है कि लाभार्थियों की पात्रता के मापदंड भारत सरकार के मत्स्य विभाग के केंद्र प्रायोजित योजनाओ के अधीन समय समय पर राजस्व विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विहित पात्रता शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे।

उक्त के क्रम में मत्स्य पालक मछुआरा को वैवाहिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 101/2017/44वी आई पी/26-3-2017-4(188)/93 टी सी. समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर 2017, शासनादेश संख्या-149/2018/ 2082/26-3-2018- 4(180)/93टी०सी० समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 27 जून 2018, शासनादेश संख्या-40/2019/625/26- 3-2019-4(188)/93टी०सी० समाज कल्याण

अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मार्ग निर्देश/मानक/निर्धारित धनराशि के अनुसार एक जोडे पर कुल रु० 51000.00 धनराशि एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों/धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक मछुआ परिवार की ऐसी पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या वैवाहिक सहायता संबंधी अन्य किसी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हों।

1.2 पात्रता हेतु मानक:

1.2(1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीगर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुडा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हो, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

1.2 (2) आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1.2(3) आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा वैवाहिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से कोई सहायता प्राप्त नहीं किया है

1.3 वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि:

वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि का विवरण निम्नवत है:

क्र0सं0	मद	धनराशि(रू0 में)
1	कन्या के खातें में (दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि)	35000
2	विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री पर व्यय (कपडे, पायल,बिछिया, कम से कम 07 बर्तन आदि)	10000
3	कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय (भोजन,पंडाल,फर्नीचर,विद्युत/प्रकाश व्यवस्था आदि हेतु)	6000
	योग	51000

1.4 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:

1.4(1) योजना का लाभ प्रसप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन

करना होगा।

1.4(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तार पर उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या-6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक-06 मार्च 2023 में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में में गठित ज़िला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाये गये आवेदनो का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जायेगा।

1.4(3) प्रदेश स्तर पर उपलब्ध सीमा अंतर्गत निदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार धनराशि निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को आवंटित की जायेगी।

1.5 अन्य बिन्दु

1.5(1) आवेदक के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

1.5(2) विवाह से सम्बंधित जी0पी0एस फोटोग्राफ जिसमे वैवाहिक कार्यक्रमों में उपस्थित जनसामान्य भी दर्शि हों आवेदन के समय उपलब्ध/संलग्न करना होगा।

1.5(3) विवाह कार्यकम हेतु क्रय की गयी सामग्री एवं कार्यक्रम के आयोजन में व्यय हुई धनराशि के सम्बंध में पंजीकृत फर्म का बाउचर्स/भुगतान रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

1.5(4) जनपदीय मत्स्य अधिकारी दवारा सहायता धनराशि भुगतान के पूर्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त/श्रम विभाग के जनपदीय अधिकारी एवं अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी यदि संबंधित हो, से सत्यापित कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या उनके विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजनान्तर्गत चयनित लाभान्वित नहीं है।

1.5(5) चयनित लाभार्थियों को परियोजना का लाभ दिए जाने के पूर्व जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन एवं मानकों के अनुसार धनराशि व्यय किए जाने पर अनुदान सहायता की धनराशि बैंकइंडेड सहायता के रूप में एक किश्त में डी०बी०टी० के माध्यम से विवाहिता कन्या के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

1.5(6) कार्यक्रम/योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम / योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

1.5(7) शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/ 2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या 1 से 20 तक में उल्लिखित प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

(ब) शिक्षा हेतु सहायता

(कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृति आदि):-

उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 एवं प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास विकास एवं नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2019 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में उ० प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मछुआरा/मत्स्य पालक को शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृति आदि) प्रदान किया जाना प्रावधानित है। मत्स्य विकास (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के संशोधित नियम 5 (13) में उल्लिखित है कि लाभार्थियों की पात्रता के मापदंड भारत सरकार के मत्स्य विभाग के केंद्र प्रायोजित योजनाओ के अधीन समय समय पर राजस्व विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विहित पात्रता शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे।

उक्त के क्रम में मछुआरा मत्स्य पालक परिवार के अध्यनरत् बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता शासनादेश संख्या 4/2016/170/64-2-2016-1(141)/2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 12 अप्रैल 2016 के साथ संलग्न नियमावली कार्यालय जाप संख्या: 169/64-2-2016-1(141)/2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 12 अप्रैल 2016, शासनादेश संख्या-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृति)/2013 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 19 अगस्त 2016 व उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 संख्या- 20/2017/902/64-2-2017-1 (पत्रवृति) / 2013 दिनांक: 08 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय-जाप द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोड़कर) दशमोतर छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017 से निहित प्रावधानों / नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित मानकों /निर्धारित धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक / मछुआरा परिवार के अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता अंतर्गत दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाएगा जिन्हे इस हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार भारत सरकार की किसी अन्य योजना से शुल्क प्रतिपूर्ति या सहायता राशि उपलब्ध न हुई हो को निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जा सकेगी।

3- शुल्क प्रतिपूर्ति:

2. पात्रता हेतु मानक:

2.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

2.2 आवेदक मछुआ के रूप में कल्याण कोष के शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में परिभाषित 12 उपजातियां केवट , मल्लाह , निषाद , बिन्द , धीमर , कश्यप , बाथम , रैकवार , मांझी , गौडिया , कहार , तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय। परंपरागत मत्स्य आखेटक से

संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, के अध्ययनरत् छात्र इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2.3 आवेदक की माता-पिता/ अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक कुल आय रु0 2.00 लाख से अधिक न हो।

2.4 आवेदक जिन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार / भारत सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति या सहायता राशि उपलब्ध न हुई हो. ही पात्र होंगे।

2.5 उप जिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

2.6 शिक्षा सहायता हेतु निर्धारित शुल्क के अंतर्गत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा शिक्षा, खेल, लाइब्रेरी और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न किया जाने शुल्क आदि जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो, शामिल होगा।

2.7 जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की आने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से. जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.8 शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार 04 समूह में अध्यनरत् छात्र के पाठ्यक्रम को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें इस हेतु निर्धारित सहायता धनराशि प्रदान की जा सकेगी-

क्र0सं0	समूह
1	समूह 1 से तात्पर्य स्नातक एवं परास्नातक स्तर के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रम से है।
2	समूह 2 से तात्पर्य परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।
3	समूह 3 से तात्पर्य स्नातक स्तर के गैर तकनीकी /व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।
4	समूह 4 से तात्पर्य इंटरमीडिएट एवं समकक्ष स्तर के तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।

3. शुल्क/फीस :

(1) "शुल्क का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है. तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, लाइब्रेरी और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न किए जाने वाला शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो. शामिल होगा। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे

शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

(2) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है. उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2(i) समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन- रिफण्डेबल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेयबल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रु0 50000/- में से जो भी न्यूनतम धनराशि होगी. शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

2 (ii) समूह-2 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रु० 30000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

2(iii) समूह-3 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन- रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा तकनीकी डिप्लोमा कोर्सों हेतु रू0 20000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

2(iv) समूह-4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन- रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 10000/- मैं से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी. शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

(3) शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थानों / निजी विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववितपोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रम की अनुमन्य शुल्क के बराबर प्रदान की जायेगी। यदि संबंधित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित नहीं है

तब प्रदेश स्तर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय की श्रेणी के अन्य शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क धनराशि में से सबसे न्यूनतम धनराशि अथवा उपरोक्त वर्णित समूहबार कोर्सों हेतु निर्धारित शुल्क, में से जो भी कम हो देय होगी ।

(4) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा उपर्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(5) आनलाइन छात्रवृति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेवुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा उपर्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।

(6) शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थानों। निजी विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववितपोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालयर्या में संचालित नियमित पाठ्यक्रम की शुल्क के बराबर प्रदान की जायेगी। यदि संबंधित शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित नहीं है तब प्रदेश स्तर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय की श्रेणी के अन्य शिक्षण संस्थानों। विश्वविद्यालयों में संचालित रेगुलर पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क धनराशि में से सबसे न्यूनतम धनराशि अथवा उपरोक्त वर्णित समूहवार पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क, में से जो भी कम हो, प्रदान की जायेगी।

4. अन्य बिन्दु

4.1 ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, ही पात्र होंगे।

4.2 एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4.3 इस योजना के अधीन शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाला छात्र अन्य किसी योजना / विभाग से शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं लेगा।

4.4 अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4.5 आवेदक को सक्षम स्तर से निर्गत जाति एवं आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4.6 आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र / प्रमाण पत्र देना

अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा प्रदेश में समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग व अन्य किसी विभाग या योजना तथा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत उसे शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है/न ही स्वीकृत हुई है।

4.7. जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि भुगतान के पूर्व संबंधित विभाग (अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग संबंधित शिक्षण संस्थान) से यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदनकर्ता छात्र को कोई शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है/ न ही स्वीकृत हुई है एवं छात्र संस्थान में पंजीकृत है।

4.8 कार्यक्रम / योजना का संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम / योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

4.9 शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 दद्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में उल्लिखित प्रावधान भी प्रभावी रहेंगे।"

<u>कोचिंग हेतु सहायता</u>

उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सह-म 2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक मछुआरा को शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, अपवृति आदि) प्रदान किया जाना प्रावधानित है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा पी०सी०एस०, जे०ई०ई०, नीट, एन०डी०ए० सी०डी०एस० इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर निः शुल्क साक्षात प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण। सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-03 के शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021- 1514/ 2016 दिनांक 06.02.2021, शासनादेश संख्या-150/ 2021/3424 / 26-3-2021-1514 / 2016 टी०सी० ॥ दिनांक 17 दिसम्बर 2021. शासनादेश संख्या- 41 / 2022 / 714/ 26-3-2022-1514 /2016 टी०सी०-॥ दिनांक 20.04.2022, शासनादेश संख्या- 112/2022/2441/ 26-3-2022- 1514/2016 दिनांक 18 /10/2022. एवं शासनादेश संख्या-118/ 2022/2441/ 26- 3-2022-1514/2016 दिनांक 10.11.2022 मार्ग निर्देश जारी किये गये है। योजानान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली तथा अत्साही विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षणा सलाह प्रदान किया जा रहा है। कल्याण कोष में परिभाषित 12 उपजातियां-केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द, धीमर,कश्यप, बाथम, रैकवार मांझी, गोडिया , कहार , तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय/ परंपरागत मत्स्य आखेटक से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, के आश्रित प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को यदि समाज कल्याण द्वारा संचालित

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बजट प्रावधान/धनराशि की कमी के कारण इस वर्ग के विद्यार्थी प्रशिक्षण से वंचित हो रहे हो तो उन्हें समाज कल्याण विभाग की मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष से समाज कल्याण विभाग के मांग के आधार पर धनराशि प्रदान की जा सकेगी।

4- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु उ 0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 में प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954, उ0प्र0 मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2019 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के सबंध में अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2023 एवं तत्क्रम में योजना के क्रियान्वयन के सबंध में शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा मार्ग-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त नियमावली में योजना के उददेश्य /शर्तो / मानकों के निर्धारण /संचालन आदि का उल्लेख किया गया है। उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य /शर्तो / मानकों के निर्धारण /संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।

5- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
(रवीन्द्र नायक खत्रावत)
Date: [illegible]
प्रमुख सचिव।

1/2025/120/
संख्या- /सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण